समाहरणालय, वैशाली (हाजीपुर)

(जिला शिक्षा कार्यालय, वैशाली)

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निजी विद्यालयों के हॉस्टल संचालकों के साथ दिनांक 29.11.2025 को आहुत बैठक में स्पष्ट निदेश दिया गया था कि सभी हॉस्टल संचालक 15 दिनों के अंदर अपने संचालित हॉस्टल का निबंधन का आवेदन सुसंगत प्रपत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, वैशाली में जमा करेंगे। तत्पश्चात दिनांक 06.04.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों के साथ आहुत बैठक में भी पुनः निदेश दिया गया कि दिनांक 11.04.2026 तक सभी हॉस्टल संचालक अपने संचालित हॉस्टल का निबंधन का आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में करेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा पत्रांक 371, दिनांक 07.04.2026 के द्वारा सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ आवेदन का निदेश भी दिया गया किन्तु अद्यावधि तक 06 विद्यालयों के द्वारा ही हॉस्टल संचालन से संबंधित आवेदन दिया गया है जो खेदजनक है। साथ ही यह बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनहीनता, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।

अतः छात्र–सुरक्षा को हित में रखते हुए ऐसे सभी हॉस्टल जिनके द्वारा अद्यावधि तक हॉस्टल संचालन हेतु आवेदन नहीं दिया गया है, के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। ऐसे हॉस्टल संचालक के द्वारा अगर हॉस्टल संचालन किया जाता है तो इसे अवैध मानते हुए उक्त हॉस्टल को तत्काल बंद कराया जाएगा तथा हॉस्टल संचालकों पर सुसंगत धाराओं के आलोक में विधि सम्मत कारवाई की जाएगी।

Sd/- 21/05/2026

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक 999 हाजीपुर, दिनांक 21.5.26

प्रतिलिपि : सभी हॉस्टल संचालकों/निजी विद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जिला–वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

Sd/- 21/05/2026

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

Scanned with OKEN Scanner